संख्या-2762/15-13-91-41461/91

प्रेषक,

अशोक गांगुली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद ।

शिक्षा (13) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 1991

विषय:- प्रदेश स्थित शिक्षा संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/ सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थित शिक्षा संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है । उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए अब शिक्षा संस्थाओं को संलग्न परिशिष्ट-1 तथा 2 पर आवेदन पत्र देना होगा । जो संस्था कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की मांग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार तथा जो संस्था सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु मांग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-2 के अनुसार अपेक्षित सूचनाओं को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए, सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी । सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित संबंधित शिक्षा संस्था का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या/संस्तुति शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेंगे । स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यदि विद्यालय में किसी प्रकार की कमियां पायी जाती हैं तो सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने स्तर से सम्बन्धित संस्था को उन कमियों के बारे में सूचित करेंगे ।